

कार्यालय:- अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर

वार्षिक ई0-निविदा सूचना (वित्तीय वर्ष 2020-21):-

1. महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएँ, निरीक्षणालय, बिहार पटना के पत्रांक 2380 दिनांक 30.03.2020 द्वारा राज्य की काराओं में बंदियों के लिए प्रमुख खाद्यान्न, हरी सब्जी, फल एवं विविध सामग्रियों के क्रय हेतु E-Tendering आमंत्रित करने एवं उसके निष्पादन का दायित्व संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला कारा क्रय समिति को सौंपा गया है।
2. इस हेतु BSEDC Ltd. पटना के E-Procurement Cell के सुझाव पर राज्य की काराओं के E-Procurement/E-Tendering प्रक्रिया में शामिल कम से कम दो पदाधिकारियों का User ID एवं पासवर्ड बनाया गया है।
3. विभागीय पत्रांक 2365 दिनांक 27.03.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष-2019-2020 के लिए सम्पन्न की गयी निविदा में खाद्यान्न, फल, सब्जी एवं विविध सामग्रियों की जिला कारा क्रय समिति के स्वीकृत दर पर ही संबंधित संवेदको से दिनांक-30.06.2020 अथवा उक्त अवधि से पूर्व E-Tendering के माध्यम से वित्तीय वर्ष-2020-21 की निविदा प्रक्रिया संपन्न होने तक आपूर्ति लिये जाने का निर्देश प्राप्त है।
4. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष-2020-2021 के लिए केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर सहित तीनों काराओं में एक साथ अनिवार्य रूप से दिनांक-01.07.2020 से 31.03.2021 तक के लिए (1) खण्ड 'क' में प्रमुख खाद्य सामग्रियों, (2) खण्ड 'ख' में हरी सब्जियाँ, फल एवं (3) खण्ड 'ग' में दैनिक विविध सामग्रियों के लिए निविदा आमंत्रित किया जाना है। यह निविदा-सूचना, विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आदर्श निविदा प्रपत्र पर आधारित है।
5. अतः प्रस्ताव है कि E-Tendering की प्रक्रिया निम्न तिथियों को सम्पन्न की जा सकती है:-

क्र०	सम्पूर्ण सूचना	
1	कार्यालय का नाम एवं पता	अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर
2	कार्य का नाम	तीनों काराओं में आपूर्ति हेतु प्रमुख खाद्यान्न, हरी सब्जी, फल एवं विविध सामग्रियों के निमित्त ई-निविदा का आमंत्रण (01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक)।
3	निविदा शुल्क BOQ शुल्क।	शून्य
4	Tender Processing Fee	As Prescribed by BSEDC Ltd. Patna. (Online Payment Only)
5	अग्रधन राशि (Earnest Money Deposit) Through Online Mode Only	अग्रधन राशि (Earnest Money Deposit) की रसीद की प्रति दिनांक-21.07.2020 पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक कार्यवधि में अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर के कार्यालय में जमा करना होगा।
6	Pre Bid Meeting की तिथि समय एवं स्थान	Website- https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON पर Pre Bid Meeting की तिथि समय उपलब्ध करा दी जाएगी।
7	निविदा Online Submission करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा जमा करने की तिथि-20.07.2020 के अपराह्न 04:00 बजे तक सभी कार्य दिवस को Online
8	Contact Person/Nodal Officer for queries	श्री विजय कुमार अरोड़ा, अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर 06183-222011, मो0-9471009831
9	तकनीकी निविदा/Bid खुलने की तिथि एवं समय	तकनीकी निविदा खुलने की तिथि/समय/स्थान दिनांक-22.07.2020 को अपराह्न 03:00 बजे जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में (जिला समाहरणालय, बक्सर)।
10	वित्तीय निविदा खुलने की तिथि एवं समय	वित्तीय निविदा खुलने की तिथि/समय/स्थान दिनांक-22.07.2020 को तकनीकी निविदा खोले जाने के पश्चात् जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में (जिला समाहरणालय, बक्सर)।

- नोट :-1. उपरोक्त संबंधित निविदा Website-<https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON> पर केवल e-Tender द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। पूर्ण जानकारी उपरोक्त Website पर प्राप्त किया जा सकता है।
2. e-Tender को Online Upload करने संबंधित जानकारी के लिए e-tender helpline no-0612-2523006/7542028164-Address -E-tendering/E-Procurement Helpdesk, 1st floor M/22, Road No.25, Sri Krishna Nagar, Patna से संपर्क किया जा सकता है।

WU

“ई0निविदा की सामान्य शर्तें”

- i. निविदादाताओं को BELTRON Portal पर निबंधित होना अनिवार्य होगा।
- ii. निविदा तीन खण्डों यथा—क,ख, एवं ग में विभक्त किया गया है। इसमें खण्ड—क (प्रमुख खाद्य सामग्रियों यथा—मध्यम उसना चावल, गेहूँ, चना, अरहर दाल, मसूर दाल, चना दाल, पीली चक्की गुड़, चीनी, आटा एवं चायपत्ती इत्यादि), खण्ड ‘ख’ में हरी सब्जियाँ एवं फल इत्यादि एवं खण्ड ‘ग’ में दैनिक विविध सामग्रियों शामिल हैं, जो संवेदक किसी एक या एक से अधिक खण्डों में विभक्त सामानों की निविदा लेना चाहेंगे वे उस सभी खण्डों की निविदा समर्पित कर सकते हैं। निविदादाता को तीनों काराओं के लिए निविदा में भाग लेना अनिवार्य होगा। तीनों काराओं के लिए सामग्री की दर एक समान होगी।
- iii. निविदा दो भागों में यथा (1) तकनीकी भाग (तीनों काराओं के लिए अलग-अलग) एवं (2) वित्तीय भाग केवल ऑन-लाइन (Online) माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।
- iv. जिला कारा क्रय समिति द्वारा निविदादाताओं की सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को खोलते हुए उसकी समीक्षा की जायेगी और तकनीकी निविदा हेतु विहित शर्तों/अर्हता के अपूर्ण पाये जाने पर उनकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
- v. तकनीकी निविदा के सफल निविदादाताओं का ही उनके द्वारा समर्पित निविदा के वित्तीय भाग को खोला जायेगा।
- vi. खण्ड—क (प्रमुख खाद्य सामग्रियों यथा—मध्यम उसना चावल, गेहूँ, चना, अरहर दाल, मसूर दाल, चना दाल, पीली चक्की गुड़, चीनी, आटा, चायपत्ती, कोयला (स्टीम ग्रेड-II), रिफाईन, जलावन लकड़ी, स्वस्थ मुर्गा का मांस (ड्रेस्ट चिकन साफ कर एवं चमड़ी रहित), ताजी एवं स्वस्थ मछली का मांस (रेहु/कतला साफ कर एवं काटकर), अरवा चावल (खीर के लिए), सोयाबीन बड़ी, मटर, चना का सतू (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर), ब्रेड (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर—4 पीस 100 ग्राम), सरसों तेल (धारा ब्रांड), दुग्ध चूर्ण (अमूल्या, सागर, सुधा) के निविदा हेतु इच्छुक एवं तकनीकी निविदा के सफल निविदादाताओं को सभी प्रकार के खाद्यान्नों का एक-एक किलों नमूना कारा क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- vii. कारा क्रय समिति द्वारा उक्त निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्रियों के नमूनों तथा वित्तीय निविदा में उनके द्वारा उल्लेखित दरों के समीक्षोपरांत उक्त सामग्री हेतु निविदा award की जायेगी तथा नमूनों को सील बंद कर कारा प्रशासन द्वारा रखा जायेगा और स्वीकृत निविदा के आधार पर आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूरित की जानेवाली सामग्रियों से मिलान करते हुए गुणवत्ता का स्तर निरंतर अक्षुण्ण रखा जायेगा।
- viii. दरों की अंतिम स्वीकृति बिहार कारा हस्तक 2012, बिहार वित्त नियमावली एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में जिला कारा क्रय समिति द्वारा दी जायेगी।
- ix. निविदा देकर मुकर जाने, समय पर आपूर्ति नहीं करने, खराब गुणवत्ता वाले अथवा त्रुटिपूर्ण सामग्री की आपूर्ति करने की स्थिति में संबंधित फर्म के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उनकी सुरक्षित जमा राशि जब्त करने एवं कालीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी एवं संबंधित फर्म भविष्य में कारा में आपूर्ति के लिए अनर्हक होंगे।
- x. खाद्यान्नों तथा आलू, हरी सब्जी, प्याज एवं विविध सामग्रियों की आपूर्ति कारा प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार ली जायेगी।

W

- xi.** सफल निविदादाताओं को कारा की आवश्यकता अनुसार आदेशित मात्रा में सामग्रियों को कारा गोदाम तक पहुँचाना होगा। संवेदकों को आपूर्ति किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं करनी होगी तथा निधि के अभाव में भुगतान में विलंब की स्थिति में भी आपूर्ति बंद नहीं की जायेगी।
- xii.** सफल निविदादाताओं को आपूर्ति किये जानेवाले सामग्रियों के एक वर्ष के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत सुरक्षित जमा (सिक्यूरिटी डिपोजीट) बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगा तथा ठीकाबंध (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करना होगा।
- xiii.** अग्रधन राशि/सुरक्षित जमा राशि/शपथ पत्र सत्यापन में गलत पाये जाने की स्थिति में संबंधित संवेदक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- xiv.** आपूरित सामग्रियों का वजन बोरा/बोरी का वजन घटाकर मान्य होगा।
- xv.** काराओं में आपूरित की जानेवाली खाद्य सामग्रियों के बोरे को सील बंद किया जायेगा तथा उन बोरो/कन्टेनरो पर "Only for Jail consumption" अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
- xvi.** कारा को आपूरित की जानेवाली सामग्रियों की अच्छी तरह जाँच पड़ताल आपूर्तिकर्ता द्वारा कारा में आपूर्ति के पूर्व स्वयं कर ली जायेगी। उनके द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के साथ किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री कारा में प्रवेश कराये जाने की स्थिति में संबंधित आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कालीकृत कर दिया जायेगा एवं संबंधित फर्म भविष्य में कारा में आपूर्ति के लिए अनर्हक होंगे।
- xvii.** आपूरित सामग्री का सत्यापन:- जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार आपूरित सामग्री की मात्रा एवं गुणवत्ता का औचक सत्यापन कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपूरित खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच प्रत्येक तिमाही संबंधित जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा भी अनिवार्य रूप से की जायेगी एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन जिलाधिकारी एवं काराधीक्षक को समर्पित किया जायेगा। जाँच में आपूरित खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता में कमी अथवा त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति लिया जाना रोक दिया जायेगा और सत्यंकार की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- xviii.** निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार जिला कारा कय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

✓

तकनीकी निविदा शर्तें (निम्नलिखित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगा)

1. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अद्यतन स्वच्छता चरित्र प्रमाण पत्र।
2. PAN CARD की छायाप्रति।
3. अद्यतन आयकर रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित प्रति।
4. GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. अद्यतन GST रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित प्रति।
6. खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 (FSSAI-2006) संबंधित लाईसेंस की स्वहस्ताक्षरित प्रति।
7. सभी काराओं के लिए खण्ड 'क' (प्रमुख खाद्य सामग्रियों यथा-मध्यम उसना चावल, गेहूँ, चना, अरहर दाल, मसूर दाल, चना दाल, पीली चक्की गुड़, चीनी, आटा, चायपत्ती, कोयला (स्टीम ग्रेड-II), रिफाईन, जलावन लकड़ी, स्वस्थ मुर्गा का मांस (ड्रेस्ट चिकन साफ कर एवं चमड़ी रहित), ताजी एवं स्वस्थ मछली का मांस (रेहु/कतला साफ कर एवं काटकर), अरवा चावल (खीर के लिए), सोयाबीन बड़ी, मटर, चना का सतू (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर), ब्रेड (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर-4 पीस 100 ग्राम), सरसों तेल (धारा ब्रांड), दुग्ध चूर्ण (अमूल्या, सागर, सुधा) के निविदादाताओं हेतु यह आवश्यक होगा कि निविदादाता आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो एवं इस हेतु विगत दो वित्तीय वर्षों का स्वहस्ताक्षरित आय-व्यय का ब्योरा (Financial Statement जिसमें संबंधित निविदादाता द्वारा Balance Sheet एवं Profit & Loss Account संबंधित अभिलेख दिया जायेगा) जमा करेंगे जिसकी सम्पुष्टि हेतु उक्त दो वर्षों का GST रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित प्रति भी संलग्न करेंगे। उक्त समर्पित Financial Statement में वर्णित Sale and Purchase राशि GST Return से संपुष्ट नहीं होने पर उक्त निविदादाता की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
(नोट-निविदा के खण्ड 'क' छोड़कर अन्य खंडों यथा 'ख' एवं 'ग' के निविदा हेतु इसकी आवश्यकता नहीं होगी)।
8. निविदादाता फर्म को किसी भी सरकारी संस्थान/संगठन कार्यालय/उपक्रम/ संस्था/समिति द्वारा कालीकृत न किया गया हो और न ही कालीकृत किये जाने संबंधित कोई प्रक्रिया लंबित हो तथा उनके ऊपर कोई अपराधिक वाद लंबित नहीं हो, इस आशय का शपथ पत्र मूल रूप में देना होगा।
9. निविदादाताओं को निम्न विवरण के अनुसार अग्रधन राशि Online/e-challan के माध्यम से जमा कर रसीद की प्रति तकनीकी निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा:-


कारा का नाम	खाद्यान्न एवं प्रमुख सामग्री खण्ड 'क'	विविध एवं अन्य सामग्री खण्ड-ख एवं ग
केन्द्रीय कारा, बक्सर	50,000.00	15,000.00
महिला मंडल कारा, बक्सर	40,000.00	10,000.00
मुक्त कारागार, बक्सर	30,000.00	5,000.00

वित्तीय निविदा की शर्तें:-

1. वित्तीय निविदा में सामग्री विशेष न्यूनतम दर अंकित करनेवाले निविदादाताओं को ही निविदा आवंटित की जाएगी एवं ठीकाबंध किया जायेगा।
2. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत अद्यतन प्रावधानों के आलोक में जिला कारा क्रय समिति द्वारा निविदा का अंतिम रूप से निष्पादन किया जायेगा।
नोट:-उपर्युक्त सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

Disclaimer

1. निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की कठिनाई से बचने के लिए वे (अंतिम तिथि के पूर्व) अपने निविदा को बेवसाईट पर अपलोड करेंगे।
2. अगर किसी कारणवश निविदा ससमय बेवसाईट पर अपलोड नहीं किया जाता है तो उसके लिए जिला कारा क्रय समिति जिम्मेवार नहीं होगी।
3. किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के लिए जिला कारा क्रय समिति जिम्मेवार नहीं होगी।


22.06.24

अधीक्षक
केन्द्रीय कारा, बक्सर

(खण्ड-क)

केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर
के लिए

प्रमुख खाद्य सामग्रियों दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2021 तक

क्र०	सामग्रियों का नाम
1	मध्यम उसना चावल-(प्रति किलो में)
2	गेहूँ -(प्रति किलो में)
3	चना-(प्रति किलो में)
4	अरहर दाल-(प्रति किलो में)
5	मसूर दाल-(प्रति किलो में)
6	चना दाल-(प्रति किलो में)
7	पीली चक्की गुड़-(प्रति किलो में)
8	चीनी-(प्रति किलो में)
9	आटा-(प्रति किलो में)
10	चायपत्ती (गोल दाना)-(प्रति किलो में)
11	कोयला (स्टीम ग्रेड-II)-(प्रति किलो में)-(आपात स्थिति में लिया जायेगा)
12	रिफाईन (धारा ब्राण्ड)-(प्रति लीटर में)
13	जलावन लकड़ी-(प्रति किलो में)
14	स्वस्थ मुर्गा का मांस (ड्रेस्ट चिकन साफ कर एवं चमड़ी रहित)-(प्रति किलो में)
15	ताजी एवं स्वस्थ मछली का मांस (रेहु/कतला साफ कर एवं काटकर)-(प्रति किलो में)
16	अरवा चावल (खीर के लिए) -(प्रति किलो में)
17	सोयाबीन बड़ी-(प्रति किलो में)
18	मटर-(प्रति किलो में)
19	चना का सतू (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर)-(प्रति किलो में)
20	ब्रेड (निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर-4 पीस 100 ग्राम)-(प्रति किलो में)
21	सरसों तेल (धारा ब्रांड) - निर्माणशाला से नहीं प्राप्त होने पर-(प्रति लीटर)
22	दुग्ध चूर्ण (अमूल्या, सागर, सुधा)-(प्रति किलो में) (सुधा दूध अनुपलब्ध रहने एवं कम्फेड द्वारा दुग्ध चूर्ण उपलब्ध नहीं होने पर)

✓

खण्ड-(ख)

केन्द्रीय कारा, बक्सर, महिला मंडल कारा, बक्सर एवं मुक्त कारागार, बक्सर के लिए

दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक के लिए हरी सब्जियाँ, फल, आलू एवं प्याज प्रति किलो :-

1.	कागजी नींबू (मध्यम आकार का)-प्रति नग	12.	परवल-प्रति किलो	23.	सेव-प्रति किलो
2.	बैंगन-प्रति किलो	13.	नेनुआ-प्रति किलो	24.	आम-प्रति किलो
3.	करैला-प्रति किलो	14.	ओल-प्रति किलो	25.	पका केला-प्रति दर्जन
4.	बोदी-प्रति किलो	15.	कच्चू-प्रति किलो	26.	संतरा-प्रति किलो
5.	भिंडी-प्रति किलो	16.	कटहल-प्रति किलो	27.	जामुन-प्रति किलो
6.	झिंगुनी-प्रति किलो	17.	सेम-प्रति किलो	28.	खीरा-प्रति किलो
7.	लाल साग-प्रति किलो	18.	आलू (आठ सूत से कम नहीं)-प्रति किलो	29.	तरबुजा-प्रति किलो
8.	पालक साग-प्रति किलो	19.	प्याज-प्रति किलो	30.	पपीता-प्रति किलो
9.	कदीमा-प्रति किलो	20.	कुन्दरी-प्रति किलो	31.	मौसमी-प्रति किलो
10.	कद्दू-प्रति किलो	21.	टमाटर-प्रति किलो	32.	गाजर-प्रति किलो
11.	मूली (पत्ता रहित)-प्रति किलो	22.	बंधा गोभी-प्रति किलो	33.	ककड़ी-प्रति किलो

दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 31.12.2020 तक के लिए हरी सब्जियाँ, फल, आलू एवं प्याज प्रति किलो :-

1.	कागजी नींबू (मध्यम आकार का)-प्रति नग	12.	परवल-प्रति किलो	23.	पका केला-प्रति दर्जन
2.	बैंगन-प्रति किलो	13.	बंधागोभी-प्रति किलो	24.	संतरा-प्रति किलो
3.	करैला-प्रति किलो	14.	फुलगोभी-प्रति किलो	25.	सेव-प्रति किलो
4.	बोदी-प्रति किलो	15.	सेम-प्रति किलो	26.	अमरुद-प्रति किलो
5.	भिंडी-प्रति किलो	16.	ओल-प्रति किलो	27.	खीरा-प्रति किलो
6.	झिंगुनी-प्रति किलो	17.	टमाटर-प्रति किलो	28.	पपीता-प्रति किलो
7.	लाल साग-प्रति किलो	18.	प्याज-प्रति किलो	29.	हरा मटर (छिमी)-प्रति किलो
8.	पालक साग-प्रति किलो	19.	आलू (आठ सूत से कम नहीं)-प्रति किलो	30.	मौसमी-प्रति किलो
9.	कदीमा-प्रति किलो	20.	नेनुआ-प्रति किलो	31.	नाशपाती-प्रति किलो
10.	कद्दू-प्रति किलो	21.	कच्चू-प्रति किलो	32.	अंगूर-प्रति किलो
11.	मूली (पत्ता रहित)-प्रति किलो	22.	गाजर-प्रति किलो	33.	शलजम-प्रति किलो

दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 31.03.2021 तक के लिए हरी सब्जियाँ, फल, आलू एवं प्याज प्रति किलो :-

1.	कागजी नींबू (मध्यम आकार का)-प्रति नग	12.	परवल-प्रति किलो	23.	पका केला-प्रति दर्जन
2.	बैंगन-प्रति किलो	13.	बंधागोभी-प्रति किलो	24.	संतरा-प्रति किलो
3.	करैला-प्रति किलो	14.	फुलगोभी-प्रति किलो	25.	सेव-प्रति किलो
4.	बोदी-प्रति किलो	15.	सेम-प्रति किलो	26.	अमरुद-प्रति किलो
5.	भिंडी-प्रति किलो	16.	ओल-प्रति किलो	27.	खीरा-प्रति किलो
6.	झिंगुनी-प्रति किलो	17.	टमाटर-प्रति किलो	28.	पपीता-प्रति किलो
7.	लाल साग-प्रति किलो	18.	प्याज-प्रति किलो	29.	हरा मटर (छिमी)-प्रति किलो
8.	पालक साग-प्रति किलो	19.	आलू (आठ सूत से कम नहीं)-प्रति किलो	30.	मौसमी-प्रति किलो
9.	कदीमा-प्रति किलो	20.	नेनुआ-प्रति किलो	31.	नाशपाती-प्रति किलो
10.	कद्दू-प्रति किलो	21.	कच्चू-प्रति किलो	32.	अंगूर-प्रति किलो
11.	मूली (पत्ता रहित)-प्रति किलो	22.	गाजर-प्रति किलो	33.	शलजम-प्रति किलो

✓

(खण्ड-ग)

दैनिक विविध सामग्रियों (दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2021 तक)

क्र०	सामग्री का नाम	क्र०	सामग्री का नाम
1	दतवन (नीम अथवा बबूल का)-प्रति नग	46	जानसन बेबी शॉप (100 ग्राम)-प्रति नग
2	हल्दी (खड़ा)-प्रति कि०ग्रा०	47	नारियल झाड़ु-प्रति कि०ग्रा०
3	मिर्चा (सुखा लाल)-प्रति कि०ग्रा०	48	नारियल रस्सी-प्रति कि०ग्रा०
4	धनियाँ -प्रति कि०ग्रा०	49	कली चुना-प्रति कि०ग्रा०
5	गोलकी -प्रति कि०ग्रा०	50	रामरस मिट्टी-प्रति कि०ग्रा०
6	जीरा-प्रति कि०ग्रा०	51	गेरू मिट्टी-प्रति कि०ग्रा०
7	अदरक (आदि)-प्रति कि०ग्रा०	52	जी०आई० तार-प्रति कि०ग्रा०
8	लहसुन-प्रति कि०ग्रा०	53	बाँस का सूप-प्रति नग
9	गरम मसाला -प्रति कि०ग्रा०	54	बाँस का टोकरी-प्रति नग
10	नमक (टाटा - आयोडीन युक्त)-प्रति कि०ग्रा०	55	कुश का चटाई-प्रति नग
11	साबुदाना-प्रति कि०ग्रा०	56	रेडी का तेल-प्रति लीटर
12	सेवई-प्रति कि०ग्रा०	57	चापाकल पिस्टन-प्रति नग
13	पीला सरसों (खड़ा)-प्रति कि०ग्रा०	58	चापाकल सॉकेट-प्रति नग
14	राई (तोड़ा)-प्रति कि०ग्रा०	59	चापाकल नट बोल्ट 3"/4"-प्रति नग
15	चना का बेसन-प्रति कि०ग्रा०	60	चापाकल जलेबी-प्रति नग
16	चुड़ा-प्रति कि०ग्रा०	61	चापाकल का हेन्डील-प्रति नग
17	सूजी-प्रति कि०ग्रा०	62	चापाकल का हेड कभर-प्रति नग
18	अण्डा-(प्रति नग)	63	चापाकल का फिल्टर-प्रति नग
19	पनीर (सुधा से प्राप्त नहीं होने पर)-प्रति कि०ग्रा०	64	चापाकल का वासर-प्रति नग
20	दही (सुधा से प्राप्त नहीं होने पर)-प्रति कि०ग्रा०	65	चापाकल का प्लन्जर वासर-प्रति नग
21	गेहूँ पिसाई-प्रति कि०ग्रा०	66	चापाकल का रड-प्रति नग
22	अंकुरित अनाज (मुंग)-प्रति कि०ग्रा०	67	चापाकल का सिलिन्डर-प्रति नग
23	अंकुरित अनाज (चना)-प्रति कि०ग्रा०	68	पेन्ट ब्रश-1 ईच-प्रति नग
24	भूना हुआ चना-प्रति कि०ग्रा०	69	पेन्ट ब्रश-2 ईच-प्रति नग
25	तिलकुट-प्रति कि०ग्रा०	70	पेन्ट ब्रश-4 ईच-प्रति नग
26	सुतली-प्रति कि०ग्रा०	71	पेन्ट ब्रश -6 ईच-प्रति नग
27	फिनाईल गोली (25 ग्राम)-प्रति पैकेट	72	पेंसील ब्रश-प्रति नग
28	फिनीट तेल-प्रति ली०	73	लाल पेन्ट-प्रति लीटर
29	फिनीट पम्प-प्रति नग	74	एल्युमिनियम पेन्ट-प्रति लीटर
30	बड़ा ड्रेन ब्रश-प्रति नग	75	नारंगी पेन्ट-प्रति लीटर
31	मिट्टी का बड़ा घड़ा	76	हरा पेन्ट-प्रति लीटर
32	मिट्टी का घड़ा का ढक्कन-प्रति नग	77	उजला पेन्ट-प्रति लीटर
33	छाता (के०सी०पाल)-प्रति नग	78	काला पेन्ट-प्रति लीटर
34	माचिस का डब्बा-10 पीस का	79	ब्लू पेन्ट-प्रति लीटर
35	भीम पाउडर-प्रति कि०ग्रा०	80	क्रीम पेन्ट-प्रति लीटर
36	गेमेक्सीन पाउडर-प्रति कि०ग्रा०	81	थीनर-प्रति लीटर
37	ब्लीचींग पाउडर-प्रति कि०ग्रा०	82	लिंग ताला (75 नं०)-09 लीवर-प्रति नग
38	ताड़ का पंखा-प्रति नग	83	लिंग ताला (65 नं०)-09 लीवर-प्रति नग
39	खाली टीन (15 किलो का)-प्रति नग	84	लिंग ताला (45 नं०)-06 लीवर-प्रति नग
40	खाली डब्बा (5 किलो का)-प्रति नग	85	बिजली कॉपर तार-1.5MM (हेवेल्स)-प्रति मीटर
41	एसीड बोतल- 500एम०एल०-प्रति नग	86	बिजली कॉपर तार-2.5MM (हेवेल्स)-प्रति मीटर
42	नारियल तेल-प्रति लीटर	87	बिजली कॉपर तार-4MM (हेवेल्स)-प्रति मीटर
43	लाईफबॉय साबुन (125gm)-प्रति नग	88	बिजली तार-40/76 (हेवेल्स)-प्रति मीटर
44	जानसन बेबी पाउडर (100 ग्राम)-प्रति नग	89	बिजली कॉपर तार-3/20 (हेवेल्स)-प्रति मीटर
45	सेनिटरी नैपकिन (महिला के लिए)-प्रति पैकेट	90	बिजली कॉपर तार-7/20 (हेवेल्स)-प्रति मीटर

✓

क्र०	सामग्री का नाम	क्र०	सामग्री का नाम
91	बल्ब होल्डर-प्रति नग	118	पलाई लीफ-कूट का (रंगीन पट्टी कोटेड)-प्रति नग
92	बिजली स्वीच-प्रति नग	119	फोल्डर फाईल-कूट का रंगीन प्लास्टिक कोटेड-प्रति नग
93	बिजली बल्ब (200 वॉट फिलीप्स)-प्रति नग	120	फ्लैट फाईल-पैरासुट डोरी सहित-प्रति नग
94	बिजली बल्ब (100 वॉट फिलीप्स)-प्रति नग	121	लिफाफा 12x28 cm-प्रति नग
95	बल्ब शेड (प्लास्टिक का)-प्रति नग	122	लिफाफा 09x24 cm-प्रति नग
96	LED Bulb-9W (हेवेल्लस का)-प्रति नग	123	पार्सल लिफाफा मोटा-पीला रंग का 23x36 cm-प्रति नग
97	LED Bulb-15W (हेवेल्लस का)-प्रति नग	124	सी0डी0 कैसेट लिफाफा-प्रति नग
98	LED Bulb-25W (हेवेल्लस का)-प्रति नग	125	गोंद-Fevi Gum Pidilite-200ml-प्रति नग
99	टॉर्च बट्री (एभेरेडी) (लीक फुफ)-प्रति नग	126	सुहागा-प्रति कि०ग्रा०
100	कुदाल (टाटा कम्पनी)-बेट सहित-प्रति नग	127	खाली ड्राम (200ली०)-प्रति नग
101	हसुआ-बेट सहित-प्रति नग	128	सखुआ का पटरा (1इंच ग 12इंच ग 7फीट)-प्रति नग
102	खुरपी-बेट सहित-प्रति नग	129	सखुआ का पाटी (3इंच x 3इंच x 7फीट)-प्रति नग
103	सादा कागज-प्रति नग	130	शीषम का पटरा (1इंच x 12इंच x 7फीट)-प्रति नग
104	राजिस्टर (1 जिस्ता)-प्रति नग	131	शीषम का पाटी (3इंच x 3इंच x 7फीट)-प्रति नग
105	राजिस्टर (2 जिस्ता)-प्रति नग	132	आम का पटरा (1इंच x 12इंच x 7फीट)-प्रति नग
106	राजिस्टर (3 जिस्ता)-प्रति नग	133	आम का पाटी (3इंच x 3इंच x 7फीट)-प्रति नग
107	राजिस्टर (4 जिस्ता)-प्रति नग	134	कटहल का पटरा (1इंच x 12इंच x 7फीट)-प्रति नग
108	छोटा कॉपी (1 जिस्ता)-प्रति नग	135	कटहल का पाटी (3इंच x 3इंच x 7फीट)-प्रति नग
109	कॉर्बन ब्लू (कोरस)-प्रति पॉकेट	136	सागवान का पटरा (1इंच x 12इंच x 7फीट)-प्रति नग
110	स्टांप पैड (कैमल)-प्रति नग	137	सागवान का पाटी (3इंच x 3इंच x 7फीट)-प्रति नग
111	स्टांप पैड ईक (कैमल)-प्रति नग	138	बबुल की लकड़ी-प्रति कि०ग्रा०
112	पेन (मोन्टेक्स)-प्रति नग		
113	फोटो कॉपी कागज (सैंचुरी A4 Size)		
114	फोटो कॉपी कागज (सैंचुरी Legal)-प्रति पॉकेट		
115	स्टेपलर पिन-प्रति पॉकेट		
116	टैग-प्रति गुच्छा		
117	टी-पीन-प्रति पॉकेट		

22.06.22

अधीक्षक
केन्द्रीय कारा, बक्सर